

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी— प्रथम, बिरौल

सी0आर0 संख्या—248 / 2025
सी.आई.एस. संख्या—248 / 2025

03.06.2026

परिवादी सुदर्शन मुखिया कि ओर से यह परिवाद पत्र दाखिल किया गया। परिवादी को कई अवसर देने के बाद भी सुनवाई हेतु परिवादी उपस्थित नहीं हुई। परिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चले आ रहे हैं। इससे यह दर्शित होता है कि परिवादी को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं रह गया है।

अतः यह न्यायालय उपरोक्त परिवादपत्र को अदम पैरवी में **खारिज** करती है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी— प्रथम
बिरौल
दिनांक— 03.06.2026